न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 367/2011 तारीख रजू:–18.02.2008

जीसीएमएस नंबर 2011/00148

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. गुलाब चन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण मीना, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
   1/1. राजकुमार पुत्र स्व0 गुलाबचन्द मीना
   1/2. कैलाशी देवी बेवा गुलाबचन्द मीना
   1/3. भंवरबाई पुत्री स्व0 गुलाबचन्द मीना पत्नि रामकेश मीना, निवासी बराना, टोंक।
   1/4. प्रियंका नाबालिक जरिये संरक्षक माता कैलाशी देवी बेवा गुलाबचन्द मीना, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

–वादीगण

बनाम

1. गजराज सिंह पुत्र रूप सिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र गजराज सिंह
3. धर्मसिंह पुत्र गजरात सिंह
4. राजू उर्फ राजेन्द्र सिंह पुत्र गजराज सिंह
   निवासीयान डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

वकील वादीगणः– श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 :– श्री दिनेश पारीक एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4:– बहस बंद

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 22.12.2025

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ वादी एवम् प्रतिवादीगण ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाडा के निवासी है, वादी जाति से मीना है तथा अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:39:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

- ❖ वादी के कब्ज़े काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 2.37 हेक्टेयर वाके ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है, उक्त आराजी में परिवादी द्वारा सरसों की काश्त की गयी है, जो काफी बडी हो गयी है, उसमें फूल आ रहे हैं।

- ❖ वादी की उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, पिछले करीब 15–20 वर्ष से प्रतिवादीगण ने वादी को नाजायज तंग व परेशान कररखा है, तथा लट्ठ के जोर से उक्त आराजी को छीनकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है, जबकि न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 20.9.83 तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 24.09.88 एवम् राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 25.10.94 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयों के निर्णय में प्रतिवादी का दावा व अपील निगरानी खारिज करते हुये, विवादित आराजी पर वादी का कब्जा माना है, उसके बाबजूद भी आये दिन फसल को काट कर ले जाते है. अथवा पशुओं से नुकशान करा देते हैं, तथा कई बार काश्त में बाधा पैदा करते हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

- ❖ दिनांक 10.02.08 को सुबह 8.00 बजे की घटना है कि वादी अपने उक्त खेत पर सरसों की रखवाली कर रहा था कि प्रतिवादीगण हाथों में लाठी गण्डासी लेकर आ गये तथा कहने लगे कि कर लो मेहनत फसल तो तुझे नहीं ले जाने देंगे, वादी ने हाथा जोडी करके काफी समझाया, लेकिन धमकी देकर चले गये, यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

- ❖ वादी को कानूनं अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी उक्त आराजी में शांति पूर्वक काश्त करे तथा प्रतिवादीगण को पाबंद कराये कि वह वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत ना तो स्वयम् करे ना ही अन्य किसी से करावें।

- ❖ दावा वादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 2.37 हेक्टेयर वाके ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा में ना तो स्वयम् मजाहमत करें ना ही किसी अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:32 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस [illegible] प्रतिवादीगण जारी होकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।
3. वकील प्रतिवादीगण ने अपना जवाब पेश किया है कि

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- ❖ विवादित आराजीयात पर कभी भी वादी का कब्जाकाश्त नहीं रहा है। इस वक्त मौके पर प्रतिवादीगण द्वारा बाई हई फसल सरसों खड़ी हुई है।

- ❖ विवादित आराजीयात से वादी का कोई ताल्लूक नहीं है। इस आराजी पर प्रतिवादीगण के बुजुर्गों के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी भौतिक रूप से प्रतिवादीगण का कब्जा है।

- ❖ वादी से प्रतिवादीगण की दिनांक 10.02.2008 को किसी प्रकार की कहासुनी नहीं हुई।

- ❖ इस भूमि से संबंधित जो पर्चा सेटलमेंट संवत् 2009 से 2023 तक गाम डिडायच ठिकाना डिडायच, तहसील सवाई माधोपुर हाल तहसील चौथ का बरवाड़ा जारी हुआ था, उसमें आराजी खसरा नंबर 345, 346, 465 का एक पर्चा एवं खसरा नंबर 416 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा का इस प्रकार कुल 30 बीघा 16 बिस्वा का रकबा मय शमामी साहब की कोठी एवं एक नई कोठी के इन्द्राज बाबत् कार्यालय उप जिलाधीश जागीर, सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 1507 दिनांक 16.01.1960 के अनुसार यक सम्पत्ति विवादित सम्पत्ति में शामिल थी।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

- ❖ निजी सम्पत्ति, जो प्रतिवादीगण के पिता विश्वेश्वर सिंह उप जागीदार के नाम राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई सूची को धारा 23(2) के अन्तर्गत मान्यता दी गई थी, जिसके अनुसार प्रतिवादी के पिता स्व0 विश्वेश्वर सिंह की खुद काश्त की भूमि 30 बीघा 16 बिस्वा होती है, जिसको राजस्थान सरकारी द्वारा जारी पट्टे के मुताबिक इस भूमि का एकमात्र काश्तकार खातेदार प्रतिवादी का पिता रहा है।

- ❖ मोडू मीना का नाम बतौर साझेदार दर्ज होने के कारण उसके द्वारा मात्र कागजी इन्द्राज के आधार पर विवादित भूमि का खातेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि इस भूमि पर शुरू से ही प्रतिवादी के पिता विश्वेश्वर सिंह ने लगान जमा कराया है तथा लगान जमा करवाने के खाने में उसका नाम दर्ज है, जो इस बात का सबूत है कि विवादित भूमि पर भौतिक रूप से प्रतिवादी के पिता एवं उनकी मृत्यु पश्चात् लगातार उनका कब्जा चला आ रहा है। गिरदावरी स्लीम संवत् 2016 में प्रतिवादी के पिता का नौकर काश्तकार के खाने में दर्ज है।

- ❖ विवादित जमीन को प्रतिवादी के पिता ने [illegible] 1969 को छीतरलाल, प्रभुलाल पुजारी डिडायच वाले को 1100/- रुपये में रहन रखी थी जिसके रहन नाम का कागजात स्टाम्प नम्बरी 4157 दिनांक 1. 11.69 बरीद गुदा पर रहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

नामें की तहरीर अध्यराज सिंह हारा बामौजूदगी गवाह रूप सिंह तहरीर किया गयाथा बिककी भरपाई स्टाम्प की पुश्त पर दिनांक 6. 6. 1972 को किया जाकर बामोजागी गवाहान भंवर सिंह बगेरा के समक्ष किए जाने केपश्चात जल्न स्टाम्प प्रतिवादी के पिता को सुपुर्द किया गया था ।

❖ प्रतिवादी के पिता के द्वारा केन्सिलेशन जॉफ सेन डीड का वाद सर्व प्रथम जिला जज संवाई माधोपुर के समक्ष दिनांक 06.08.1985 को प्रस्तुत कियागया था, जो कि बाद में दि० 14–1–93 को सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सवाई माधोपुर के समक्ष इसलिए मुन्तकित कर दियागया थी कि 1993 मैं मालियत दावा के आधार पर सुनवाई के अधिकार सिविल न्यायाधीश क. व. को प्राप्त हो चुके थे। उसके पश्चात् दिनांक 21.2.94 को वादी विश्वेश्वर सिंह के फोत हो जाने के सम्बन्ध में जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ था। वह बगैर किती जांच के 10.7.98 को निरस्त करने के कारण दावा अबेट कर दिया गया था, जिसकी अपील माननीय जिला जज सवाई माधोपुर के समक्ष विचारा धीन है। अपील संख्या 26/99 है, जिसमें आगामी तारीख देशी वाटते बहत 11.7.08 नियुक्त है रेती स्थिति में जबकि मामला कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अन्दर सेल डीड के निरस्तीकरण बाबत सब ज्यूडिस है तो ऐसी स्थिति मैं वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

❖ वादी रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर स्वं को खातेदार बताकर आया है जबकि मोडू ते प्रतिवादी के पिता का विवाद का रहा था। उस समय दौराने वाद इसप्रकार की बेचान की गई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में बेवान बाबत वाद विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में वादी का वाद प्री मेच्योर होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

❖ विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में वाद द्वारा फौजदारी केस अन्तर्गत पारा 447 आई.पी. सी. मुकदमा इल्जाम नं० 102/06 धारा 323, 341, 447, आई.पी.सी. एवं धारा 3 एस. सी. एस. टी. एक्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिनांक 3.7.06 को दोराने तफ्तीश सी. ओ. ग्राम तवाई माधोपुर के समक्ष दोराने अन्वेषण वादी द्वारा यह बयान दिया गया है कि इस जमीन पर कालू, रामकेश मीना, गजराज गजराज सिंह व उसके पुत्र जोतते चले आरहे है। इस तथ्य से यह बात साबित है कि विवादित आराजी [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:39:32 IST
Reason: SelfAttested

❖ क्योंकि मुकदमा रजिस्टर्ड [illegible] हा है और रजिस्टर्ड सेल डीड के बारे मैं जिला जज सवाई माधो[illegible] के द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं दिया गया है, इसलिए गुलाब चन्द मात्र सेलडीड के आधार पर स्वयं को खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

मानकर इस आशय का वाद प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। अतः जबाबदावा पेश कर अर्ज है कि दावा वादी मय हर्जा खर्चा बारिज फरमाया जायें।

4. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

- आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि आराजी खसरा नंबर 620 रकबा 2.37 है0 वाके ग्राम डिडायच वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे ?

–वादी

- आया विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता विश्वेश्वर सिंह की खातेदारी भूमि है, जिसे राज0 भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 23 (2) के अन्तर्गत मान्यता दी गई है ?

–प्रतिवादीगण

- आया मोडू मीणा का नाम बतौर साझेदार दर्ज होने से मात्र कागजी इन्द्राज के आधार पर खातेदार नहीं हो सकता है ?

–प्रतिवादीगण

- आया सेलडीड के निरस्तीकरण बाबत मामला अपील संख्या 26/99 माननीय जिला जज महोदय, सवाई माधोपुर में विचाराधीन होने से ऐसी स्थिति में वादपत्र चलने योग्य नहीं है ?

–प्रतिवादीगण

5. वादी वकील ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये–

- <u>पी0डब्ल्यू0–01</u>:– गुलाब चन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण मीणा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>पी0डब्ल्यू0–01</u>:– गंगाराम पुत्र सूरजमल मीणा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>डी0डब्ल्यू–01</u>:– गजराज सिंह पुत्र विश्वेश्वर सिंह, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>डी0डब्ल्यू–02</u>:– धन्नालाल पुत्र गोविन्दराम मीना, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- <u>प्रदर्श–01</u>:– मु0नं0 133/77, उनवान विश्वेश्वर बनाम मोडू निर्णय दिनांक 20.09.1983 माननीय न्यायालय उप जिलाधीश, सवाई माधोपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- **प्रदर्श–02**:–माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी (प्रथम), जयपुर का निर्णय मु0नं0 320/87 उनवान विश्वेश्वर सिंह बनाम मोडू निर्णय दिनांक 24.09.1988 की प्रमाणित प्रति।
- **प्रदर्श–03**:– माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, (प्रथम), जयपुर का डिक्री निर्णय मु0नं0 320/87 उनवान विश्वेश्वर सिंह बनाम मोडू डिक्री दिनांक 24.09.1988 की प्रमाणित प्रति।
- **प्रदर्श–04**:– माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर का निर्णय मु0नं0 378/88, उनवान गजराज सिंह बनाम मोडू, निर्णय दिनांक 25.10.1994 की प्रमाणित प्रति।
- **प्रदर्श–05**:– माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर की डिक्री निर्णय मु0नं0 378/88, उनवान गजराज सिंह बनाम मोडू, निर्णय दिनांक 25.10.1994 की प्रमाणित प्रति।
- **प्रदर्श–06**:– माननीय राजस्थान उच्च न्यायाल, जयपुर का निर्णय एस0बी0 सिविल रिट पीटीशन संख्या 288/1995, उनवान गजराज सिंह वगै0 बनाम मोडू वगै0 निर्णय दिनांक 12.05.2005 की प्रमाणित प्रति।
- **प्रदर्श–07**:– माननीय राजस्थान उच्च न्यायाल, जयपुर का निर्णय डी0बी0 सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 113/2006, उनवान गजराज सिंह वगै0 बनाम हेमराज वगै0 निर्णय दिनांक 12.05.2005 की प्रमाणित प्रति।
- **प्रदर्श–08**:– जमाबन्दी (खतौनी), खसरा नंबर 620, वाके ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- **प्रदर्श–09**:–खसरा गिरदावरी, खसरा नंबर 620, वाके ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- **प्रदर्श–10**:– मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 620, वाके ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

6. वकील प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक साक्ष्य पेश किये–
   - ✓ **डी0डब्ल्यू–01**:– गजराज सिंह पुत्र विश्वेश्वर सिंह, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
   - ✓ **डी0डब्ल्यू–02**:– धन्नालाल पुत्र गोविन्दराम मीना, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

7. वकील प्रतिवादी संख्या 2 लगाया[illegible] बावजूद बहस हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी बहस बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

8. वकील वादीगण बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने लिखित बहस पेश की। दौराने बहस वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने वादपत्र एवं जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया।

9. मैंने वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

10. वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि पर्चा सेटलमेंट संवत् 2009 से 2023 तक गाम डिडायच ठिकाना डिडायच, तहसील सवाई माधोपुर हाल तहसील चौथ का बरवाड़ा जारी हुआ था, उसमें आराजी खसरा नंबर 345, 346, 465 का एक पर्चा एवं खसरा नंबर 416 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा का इस प्रकार कुल 30 बीघा 16 बिस्वा का रकबा मय शमाामी साहब की कोठी एवं एक नई कोठी के इन्द्राज बाबत् कार्यालय उप जिलाधीश जागीर, सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 1507 दिनांक 16.01.1960 के अनुसार यक सम्पत्ति विवादित सम्पत्ति में शामिल थी। राजस्व रिकॉर्ड में मोडू मीना का नाम बतौर साझेदार दर्ज होने के कारण मात्र कागजी इन्द्राज होने के आधार पर विवादित भूमि का खातेदार नहीं हो सकता। प्रतिवादी के पिता ने उक्त भूमि का लगान स्वयं जमा करवाया है। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी बहस में अंकित कथनों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

वकील वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 620 रकबा 2.37 है0 वाके ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा उनकी खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है, जिसकी पुष्टि ने **प्रदर्श–8** एवं **प्रदर्श–9** से होती है। मु0नं0 133/77, उनवान विश्वेश्वर सिंह बनाम मोडू निर्णय दिनांक 20.09.1983 माननीय न्यायालय उप जिलाधीश, सवाई माधोपुर **(प्रदर्श–01)** में वादी विश्वेश्वर का वाद बाबत् हक व दुरूस्ती इन्द्राज खारिज किया गया, जिसकी अपील वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी (प्रथम)–जयपुर में की, जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी (प्रथम)–जयपुर ने उप जिलाधीश, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 30.09.1983 को बहाल रखते हुए अपीलांट की अपील खारिज कर दी **(प्रदर्श–2)** व **(प्रदर्श–3)**। उक्त अपील के खारिज किये जाने के पश्चात् उक्त निर्णय दिनांक 24.09.1988 के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में अपील पेश की **(प्रदर्श–4)**। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान जयपुर ने भी अपीलांट की अपील सारहीन होने के कारण माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी (प्रथम)–जयपुर के निर्णय दिनांक 24.09.1988 को यथावत रखा। इसी [illegible]नीय राजस्थान उच्च न्यायाल, जयपुर का निर्णय एस0बी0 सि[illegible] 288/1995, उनवान गजराज सिंह वगै0 बनाम मोडू वगै0 निर्णय दिनांक 12.05.[illegible]5 **(प्रदर्श–6)** व माननीय राजस्थान उच्च न्यायाल, जयपुर का निर्णय डी0बी0 सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

113/2006, उनवान गजराज सिंह वगै0 बनाम हेमराज वगै0 निर्णय दिनांक 12.05.2005 **(प्रदर्श–7)** में भी मोडू पुत्र गैन्द्या मीना के पक्ष में निर्णय पारित किया था, जिससे वादीगण के कथन की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के विवादित आराजी खसरा नंबर 620 रकबा 2.37 है0 के खातेदार होने की पुष्टि होती है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित खसरा नंबर 620 रकबा 2.37 है0 में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न न करे। दौराने वाद विवादित आराजीयात इस पत्रावली में पूर्व न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) सवाई माधोपुर द्वारा इसी वाद से संबंधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) नंबरी 09/2008 दिनांक 01.04.2008 द्वारा विवादित आराजीयात को कुर्क किया गया, जिसमें तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को रिसीवर नियुक्त किया गया था। जिनके द्वारा आदेश की अनुपालना में 07.08.2008 को जरिये फई जप्ती कुर्क किया जाकर प्रतिवर्ष नीलामी द्वारा हककाश्त की व्यवस्था की जाती रही है, जिसकी राशि रिसीवर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा के कोष में जमा है। चूंकि मूल वादपत्र का निस्तारण आज इस निर्णय व डिक्री द्वारा किया जा रहा है। अतः विवादित आराजीयात को कुर्की से बागूजास्त किया जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को निर्देश जाते हैं कि वो जमाशुदा नीलामी राशि में से नियमानुसार अपना कमीशन काटकर शेष राशि डिक्रीदार को लोटायें तथा विवादित कुर्कशुदा आराजीयात का कब्जा डिक्रीदार को 30 दिवस में संभलाकर पालना से अवगत करावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:32 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान चौथ का बरवाडा

1. गुलाब चन्द पुत्र [illegible] मीना, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा। 1/1. राजकुमार पुत्र स्व0 गुलाबचन्द मीना 1/2. कैलाशी देवी बेवा गुलाबचन्द मीना 1/3. भंवरबाई पुत्री स्व0 गुलाबचन्द मीना पत्नि रामकेश मीना, निवासी बराना, टोंक। 1/4. प्रियंका नाबालिक जरिये संरक्षक माता कैलाशी देवी बेवा गुलाबचन्द मीना, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।	बनाम	1. गजराज सिंह पुत्र रूप सिंह 2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र गजराज सिंह 3. धर्मसिंह पुत्र गजरात सिंह 4. राजू उर्फ राजेन्द्र सिंह पुत्र गजराज सिंह निवासीयान डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:59:32 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर मुकदमा 367 सन् 2011

दावा बाबत् तकासमा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी की ओर से **श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट** एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से **श्री दिनेश पारीक एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 22.12.2025 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है** एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित खसरा नंबर 620 रकबा 2.37 है0 में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न न करे। विवादित आराजीयात को कुर्की से बागूजास्त किया जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को निर्देश जाते हैं कि वो जमाशुदा नीलामी राशि में से नियमानुसार अपना कमीशन काटकर शेष राशि डिक्रीदार को लोटायें तथा विवादित कुर्कशुदा आराजीयात का कब्जा डिक्रीदार को 30 दिवस में संभलाकर पालना से अवगत करावें। पक्षकारान अपना खर्चा स्वयं वहन करे।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 22.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (टोंक)